"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 127] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 7 अप्रैल 2017 — चैत्र 17, शक 1939

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग
दाऊ कल्याण सिंह भवन (पुराना मंत्रालय) के समीप, रायपुर

प्रकरण क्रमांक एफ-68-60/तीन (दो)/न.पा./व्यय लेखा/2015/2389 A रायपुर, दिनांक 7 अप्रैल 2017

1. डॉ. गोजूपाल, अभ्यर्थी महापौर पद आम निर्वाचन दिसम्बर 2014, नगर पालिक निगम, रायपुर, जिला रायपुर, छ.ग.
2. लिकेश सिंह, अभ्यर्थी महापौर पद आम निर्वाचन दिसम्बर 2014, नगर पालिक निगम, रायपुर, जिला रायपुर, छ.ग.
2. होरी लाल यादव, अभ्यर्थी महापौर पद आम निर्वाचन दिसम्बर 2014, नगर पालिक निगम, रायपुर, जिला रायपुर, छ.ग.

आदेश

(छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14-ग सहपठित धारा 14-ख के अंतर्गत)
पारित दिनांक 7 अप्रैल 2017

1. यह प्रकरण कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) रायपुर के प्रतिवेदन दिनांक 19-1-2015 के आधार पर छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 (एतत्पश्चात् संक्षेप में अधिनियम) की धारा 14-ग सहपठित धारा 14-ख के तहत प्रारंभ किया गया है.

2. प्रकरण का संक्षिप्त विवरण यह है कि नगर पालिक निगम रायपुर के महापौर पद के लिये आम निर्वाचन 2014-15 में कुल 28 अभ्यर्थियों ने निर्वाचन लड़ा था. निर्वाचन परिणाम 4 जनवरी 2015 को घोषित किया गया. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) रायपुर ने राज्य निर्वाचन आयोग को अपने ज्ञापन दिनांक 19-1-2015 के साथ निर्धारित प्रपत्र में जानकारी संलग्न कर प्रतिवेदित किया है कि नगर पालिक निगम रायपुर के आम निर्वाचन 2014-15 में महापौर पद के अभ्यर्थियों में से अभ्यर्थीगण डॉ. गोजूपाल, लिकेश सिंह एवं होरी लाल यादव द्वारा निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तिथि के पश्चात् नियत समयावधि में विधि की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल नहीं करना दर्शाया है.

3. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका), रायपुर के प्रतिवेदन के परिप्रेक्ष्य में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अभ्यर्थियों डॉ. गोजूपाल, लिकेश सिंह एवं होरी लाल यादव को दिनांक 13 मई 2015 को अधिनियम की धारा 14-ग सहपठित धारा 14-क एवं 14-ख के अन्तर्गत सूचना प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर इस बात की हेतुक दर्शित करने के लिए कारण बताओ सूचना जारी की गई कि वे उक्त निर्वाचन व्यय लेखा अपेक्षित समय के भीतर विहित रीति में अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करने में क्यों असफल रहे तथा क्यों न उनके विरुद्ध अधिनियम की धारा 14-ग के अन्तर्गत कार्यवाई करते हुए उनको पांच वर्ष से अनधिक की कालावधि के लिए इस प्रकार चुने जाने तथा नगर पालिक निगम का महापौर या पार्षद होने के लिए निरर्हित किया जाए. कारण बताओ सूचना अभ्यर्थियों डॉ. गोजूपाल, लिकेश सिंह को दिनांक 22-6-2015 को एवं होरी लाल यादव को दिनांक 26-06-2015 को तामील की गई. अभ्यर्थीगण डॉ. गोजूपाल, लिकेश सिंह एवं होरी लाल यादव को कारण बताओ सूचना तामील होने के पश्चात् भी उनके द्वारा न तो निर्धारित अवधि में और न ही उसके पश्चात् आज पर्यन्त अपना जवाब अथवा

अभ्यावेदन आयोग में प्रस्तुत किया गया. ऐसी स्थिति में यह माना गया कि उक्त अभ्यर्थीगण को अपने पक्ष के समर्थन में कुछ नहीं कहना है एवं तदनुसार अभ्यर्थीगण डॉ. गोजूपाल एवं होरी लाल यादव के विरूद्ध दिनांक 4-3-2016 को तथा अभ्यर्थी लिकेश सिंह के विरुद्ध दिनांक 25-3-2017 को एक पक्षीय कार्रवाई की गई.

4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) रायपुर ने प्रतिवेदित किया है कि अभ्यर्थीगण डॉ. गोजूपाल, लिकेश सिंह एवं होरी लाल यादव द्वारा निर्वाचन व्यय का लेखा आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी-जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल नहीं किया गया है. यह अधिनियम की धारा 14-क (1) एवं 14-ख का उल्लंघन है. अधिनियम की धारा 14-क (1) एवं 14-ख निम्नानुसार है :

"**14-क. निर्वाचन व्ययों का लेखा-** (1) महापौर के निर्वाचन में प्रत्येक अभ्यर्थी निर्वाचन संबंधी उपगत उस सब व्यय का जो, उस तारीख के जिसको वह नामनिर्दिष्ट किया गया है और उस निर्वाचन के परिणामों की घोषणा की तारीख के, जिनके अन्तर्गत ये दोनों तारीखें आती हैं, बीच स्वयं द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा उपगत या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया गया है, पृथक् और सही लेखा या तो वह स्वयं रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवायेगा."

इससे स्पष्ट है कि अधिनियम की धारा 14-क (1) की अपेक्षानुसार महापौर पद के निर्वाचन में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन व्ययों का प्रतिदिन का लेखा रखा जाना अनिवार्य है. अधिनियम की धारा 14-ख निम्नानुसार है :

"**धारा 14-ख. निर्वाचन व्यय के लेखे को दाखिल किया जाना-** महापौर के निर्वाचन में का प्रत्येक निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी निर्वाचन की तारीख से तीस दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जो उस लेखा की सही प्रति होगी जिसे उसने या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने धारा 14-क के अधीन रखा है राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास, दाखिल करेगा."

अधिनियम की धारा 14-ख की अपेक्षानुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा तिथि से तीस दिवस के अंदर निर्वाचन व्यय का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल किया जाना अनिवार्य है. निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण एवं प्रस्तुति) आदेश 2012 की कंडिका 07 के तहत जिला निर्वाचन अधिकारी को अधिसूचित अधिकारी नामोद्दिष्ट किया गया है. अत: उक्त व्यय लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाना था. उक्त जानकारी दिनांक 3 फरवरी 2015 तक प्रस्तुत करना था.

5. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) रायपुर के प्रतिवेदन तथा प्रकरण से सम्बंधित उपलब्ध अन्य अभिलेखों के परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि नगर पालिक निगम रायपुर के महापौर पद के आम निर्वाचन दिसम्बर 2014 में भाग लेने वाली अभ्यर्थियों डॉ. गोजूपाल, लिकेश सिंह एवं होरी लाल यादव द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा अधिनियम की धारा 14-क (1) तथा धारा 14-ख की अपेक्षानुसार अधिसूचित अधिकारी के पास विहित रीति से निर्धारित अवधि में एवं उसके पश्चात् आज पर्यन्त प्रस्तुत नहीं किया गया तथा आयोग द्वारा जारी कारण बताओ सूचना के सन्दर्भ में अपना लिखित जवाब/ अभ्यावेदन भी आयोग कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया. इस असफलता के लिए उन्होंने कोई कारण अथवा न्यायोचित्यता रखने की सूचना भी आयोग को नहीं दी. अत: मुझे यह समाधान हो गया है कि अभ्यर्थीगण डॉ. गोजूपाल, लिकेश सिंह एवं होरी लाल यादव प्रश्नाधीन निर्वाचन व्ययों का लेखा निर्धारित समयावधि के भीतर अधिनियम के अधीन अपेक्षित रीति में आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करने में असफल रहे हैं तथा उक्त अभ्यर्थीगण इस असफलता के लिये कोई उपयुक्त कारण या न्यायोचित्यता नहीं रखते हैं. तदनुसार अधिनियम की धारा 14-ग के प्रावधान अनुसार अभ्यर्थियों डॉ. गोजूपाल, लिकेश सिंह एवं होरी लाल यादव को निर्वाचन व्ययों का लेखा निर्धारित समयावधि के भीतर विहित रीति से विधि की अपेक्षानुसार दाखिल करने में असफल रहने के कारण तथा धारा 14-ग (ख) में वर्णित कोई न्यायोचित्यता नहीं रखने के कारण इस आदेश की तारीख से 4 (चार) वर्ष की कालावधि के लिये इस प्रकार चुने जाने एवं नगर पालिक निगम के महापौर या पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है. अधिनियम की धारा 14-ग की अपेक्षानुसार इस आदेश का प्रकाशन छत्तीसगढ़ राजपत्र में कराया जाए.

6. यह आदेश छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग की मोहर से तारीख 7 अप्रैल 2017 को जारी किया गया.

हस्ता./
(राम सिंह)
राज्य निर्वाचन आयुक्त.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.